



SOP For “LITIGATION FREE VILLAGE”

- विवाद विहीन ग्राम की घोषणा होने के बाद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसे स्कीम में वर्णित योजना के अनुसार मीडिएशन, सुझाव, **Conciliation**, लोक-अदालत, समझौते के जरिए सेवादल द्वारा निपटाया जाए।
 - सेवादल के गठन में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम के 02 प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, शिक्षित, सेवा भावना से युक्त स्वयंसेवी सदस्य होंगे। इन सदस्यों को चुनने में बेहद सतर्कता बरती जाये। रिटायर्ड शिक्षक या अन्य रिटायर्ड शासकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। (इन सदस्यों को एतस्मिनपश्चात् प्राइवेट सदस्य सुविधा की दृष्टि से कहा जायेगा)
 - प्रत्येक विवाद विहीन ग्राम में लीगल एड क्लीनिक खोला जाए। इस क्लीनिक में सेवादल के प्राइवेट सदस्यों को पी.एल.व्ही. के रूप में योग्यता होने पर नियुक्त किया जा सकता है। ये पीएलवी लीगल एड क्लीनिक का संचालन करेंगे।
 - माह में एक बार सेवादल की पूर्ण बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भाग लें तथा ग्राम में उत्पन्न विवादों एवं ग्राम की आधारभूत संरचना के विकास के लिए शासकीय योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करें।
 - उक्त बैठक के पूर्व लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पीएलवी ग्राम के विवादों (एक माह में उत्पन्न) को रजिस्टर में नोट करेंगे। सेवादल इन विवादों का निपटारा करने का प्रयास करेगा। सेवादल की बैठक में उक्त सभी विवरण रखे जायेंगे।
 - लीगल एड क्लीनिक पर एक बोर्ड लगाया जाये, जिसमें पीएलवी का नाम, मोबाइल नम्बर, बैठने के दिन, समय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दूरभाष नम्बर अंकित हो।
 - विवाद विहीन ग्राम में खोला गया लीगल एड क्लीनिक आस पास के 30-40 गाँवों की समस्याओं के समाधान, विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए केन्द्र बिंदु रहेगा।
 - अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सहयोग से ग्राम के आधारभूत ढांचे का विकास तथा शासकीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे तथा प्रत्येक मॉनीटरिंग सेल की बैठक में विवाद विहीन ग्राम के संबंध में आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा कर अमलीजामा पहनाया जाए।
 - ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के न्याय-निर्णय हेतु ऐसे विवादों को ग्राम न्यायाधिकारी के समक्ष रखवाने के कार्य में सहयोग तथा आस पास के 30-40 गाँवों में इन मामलों को स्थानीय स्तर पर ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा निपटारे योग्य होने के तथ्य का प्रचार-प्रसार विवाद विहीन गाँव में स्थित लीगल एड क्लीनिक करवायेगा।
-